


आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

प्रकरण संख्या 338/2023 अनवान ध्रुवा इंजीनीयर्स जरिये भागीदार विमलराज सिंघवी
बनाम नैनीदेवी वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.04.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट ने दिनांक 23.4.24 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.7.23 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में मौजूदा अपील का कोई औचित्य नहीं होने से वह इसको आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः उक्त अपील जरिये विद्धो निस्तारित फरमाई जावे।</p> <p>अतः वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की उक्त अपील जरिये विद्धोल खारीज की जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 29.04.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (अजीत सिंह राजावत) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर</p>	

